can make any comment you like in the editorial column. That is a different matter. Sir, it would be a sad day if the gentlemen who sit in the gallery go and report and their editors want to utilise their reports, for politicalising in this manner, for grinding their political axe; it will not be parliamentary reporting any more; that should be understood.

With all sense of responsibility and concern for the freedom of the press which I also cherish-in fact I would like it to be enlarged-I hope that a distinction would be made between what forms part of parliamentary reporting and coverage and what forms part of editorial comment. These should not be put together. Then we have no protection against it. Then what is the use? Therefore, I say that this is a matter you should kindly consider. If you think I am right, the attention of the 'Statesman' editor should be drawn because I don't think that our reporters, who come here, they do such things. 1 think the editor is doing such things. I am an editor. I know how to give guidance and put things in a particular manner. I have been the editor of a daily paper also. So I think you should kindly consider it. If you think that there is substance in what I pointed out to the Chairman yesterday, then you should kindly instruct your office to bring it to the notice of the Editor of the 'Statesman' that in future this should not happen. I moved the motion here for calling attention, but this is the only thing attributed to me. I spoke. You were good enough to give me twenty minutes. You see. But nothing of it is there. I gave an account. I made demands for the Orissa people. I said how the Government could be helped, and things like that. But nothing is given. But in the report it is suggested that the CPI and the Congress have a political axe to grind. I would request you again to go into this matter a little seriously because sometimes I think we should give proper guidance to our editors also. Let them criticise as much as the like-I don't mindbut what happens in Parliament should not

be distorted to inject the editor's ideas and views and assessment into it. That should not be the case.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have gone through the report of the 'Statesman' and I think newspaper reporting should be more careful, not to put anything in the mouth of Members. To make fair comments about Members' speeches is of course within the jurisdiction of the press. They can comment in any manner they like but to make quotation and to say that a particular Member has said this when he has not said it is wrong. I think the paper should he more careful in this respect.

SHRI BHUPESH GUPTA : This is all I wanted.

#### THE DELHI LAND (RESTRICTIONS ON TRANSFER) BILL, 1972— Contd.

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, दिल्ली लेंड्स (रेस्टि-क्शन्स आन टांसफर) बिल बहत सीमित मकसद को लेकर सदन के सामने पेझ किया गया है और वह है कि दिल्ली में जिन जमीनों को सरकार ने एक्वायर किया है या जो जमीनें एक्यायर की जा रही हैं उनका टांसफर मार्गेज या उनकी सेल न हो सके। साथ ही इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो लोग जमीन को बेचना चाहते हैं वे प्रेस्काइबड अथारिटी से इजाजत लें और प्रेस्काइवड अथारिटी उनको इजाजत देगी बशर्तें कि उनकी पबलिक आवश्यकताओं के लिए उसकी जरूरत न हो । लेकिन बनि-यादी सवाल यह है कि 25 साल में दिल्ली में आबादी बढती चली गई है और राजधानी होने की वजह से यहां पर जमीनों की कीमत बहत ज्यादा बढ़ गई है गहां तक कि नई दिल्ली में जमीनों की कीमत 300 रुपए फी स्ववायर यार्ड से भी ज्यादा हो गई है।

#### 59 Delhi Land (Restriction

# एक माननीय सदस्य : एक हजार।

श्री बनारसी दास : अभी मेरे एक दोस्त ने बतलाया कि एक हजार है। यह जो जमीनों की कीमतों में एप्रीसिएशन हआ है यह केवल सरकार की गफलत की वजह से हआ है। इसके पीछे स्पकुलेशन और प्रोफिटियरिंग करने वाले रहते हैं। इस में प्रावधान रखा गया है कि प्रेस्काइब्ड अथारिटी सेल, ट्रांसफर और मार्गेज की इजाजत कुछ विशेष स्थितियों के अन्दर दे सकती है। उस, पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए काम्प्रीहेंसिव बिल होना चाहिए। अज जबकि दिल्ली की आबादी बढती चली जा रही है और यनियन टैरीटरी आफ दिल्ली के बहुत से गावों की जमीनों को एक्वायर किया जा चका है बहत कीमत देकर तो बनियादी प्रश्न यह है कि दिल्ली को आगेकी क्या प्लानिंग होगी और जो जमीन दिल्ली के अन्दर है क्या उसकी सेल के ऊपर भी पाबन्दी होगी, कोई कीमत सरकार उनकी निर्धारित करेगी जिसकी सीलिंग से बाहर कोई आदमी अपनी जमीन को बेच नही सकेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी कायम की गई है क्या वह भी इन्टरमीजियरो और मिडिलमेन का काम जिस तरह और कोलोनाइजर्स ने किया वहभी एक्सप्लाइ-टेशन का काम करेगी, यहां के जो लोग जमोन चाहते हैं आवास के लिए उनसे प्रोफिटियरिंग का काम करेगी? आज जो जमीन विकसित करने का डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है उसका कोई भी वास्तविकता से किसी तरह का संबंध नहीं है। डेवलपमेंट चाजं ज्यादा से ज्यादा 18-20 रुपया पर स्क्वायर यार्ड हो सकता है, जिसमें सार्वजनिक संस्थानों के लिए व्यवस्था हो, रोडस, कम्यनिकेशन्स और सारी चीत्रें हो लेकिन आज जो जमीनें दिल्सी के अन्दर दी जाती

हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी की तरफ से या जो मकान बनाकर उनकी लरफ से दिए जाते हैं उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वह साधारण लोगों की पहुंच के बिल-कूल बाहर होती है।

एक प्रब्न यह है...

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माफ कि जिएगा। यहां रिवाज यह है कि डी॰ डी॰ ए॰ किसी आदमी को फी होल्ड लेंड नहीं देना चाहती। उसको लेकर वह उसको लीज पर देती है। वह अमीन उसी आदमी से ली गई, उसका मुआविजा दिया गया और उसी को वापस की गई तो दस गुने पैसे उससे भी लिये गये। यह कागजी कार्यवाही है। प्रोपराइटर एक ही है। उसी प्रोपराइटर की फी होल्ड जमीन है। डी॰ डी॰ ए॰ उसको अक्वायर करती है और फिर उसी को वापस करती है दस बोस गुना उसकी कीमत ले कर के यह कहां तक मुनासिब है।

श्री बनारसी दास : श्रीमन, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह दिल्ली की प्लानिंग का सबसे बडा सवाल है और ज्यादा से ज्यादा जमीन दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी यहां के विकास के लिये लेती जा रही है। जमीन की भो एक सीमा है। जमीन के बारे में प्लानिंग करनी पडेगी। बनियादी बात यह है कि एक फेमली की जरूरत कितनी है आवास के लिए, कितना स्थान उन को मिलना चाहिए। मेरा अपना अनुमान यह है कि सब से पहले मिनिस्टर महोदय नयी दिल्ली का पुरी तरह से एक वैल्ययेशन करायें और देखें कि यहां आन दि एवरेज ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन है ताकि यहां काठीक से प्लानिंग किया जा सके। इसी नयो दिल्ली में बिना कीमती जमीन को लिये हए लाखों जादमिशों को जाबाद किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ तो डी० डी० ए०

जमीनें एक्वायर करता चला जा रहा है, एक तरफ समाजवाद का नारा है और दसरी तरफ बडे-बडे मगलशाही महल जैसे तमाम जमीन घेरे हए हैं। चार-चार, पांच-पांच एकड जमीन के बंगले में लोग रहते हैं। इस चार-पांच एकड जमीन की कीमत अगर आज के रेट से ढाई सी, तोन सौ फी गज के हिसाब से लगायी जाय, तो वह 50 लाख रुपये के करीब आती है, जिस का गवर्नमेंट के रेट से इंटरेस्ट लगाया जाय तो 5 लाख रुपए तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है। तो लैंड और बिल्डिंग और उस के उपर रख रखाब पर जो खर्च होता है,वह अलग है। तो जहां आप यह चाहते हैं कि कोई अपनी जमीन बेच न सके तो उसके लिये सबसे पहले जो जमीन है, आपके पास उसका आप सही-सही इस्तेमाल कीजिए, उसकी प्लानिंग कीजीए और एक परिवार को कितनी जमीन की अवश्यकता है, आज की आवश्यकता के मताबिक, उसको निश्चित करिये। आज बड़े-बड़े लान्स और कोठियां न हो कर फ्लैंटस होने चाहिएं । अभी आपने देखा कि रफी मार्ग पर बड़-बडे एक दो बंगले थे, जहां पर अब एक बड़ा भारी आडीटोरियम और सीघे-सीघे आदयिमों के रहने के लिए सैकड़ों फ्लैट्स बना दिये गये। अगर रफी मार्ग पर दो कोठियां को लेकर सैंकडों आदमियों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है, तो इसी प्रकार से और दसरी कोठियों को ले कर लोगों के रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है? तो में एक सझाव यह देना चाहता हं कि कोई जमीन एक्वायर करने के पहले उस का सही-सही और राष्ट्र हित में इस्तेमाल करने का प्लान होना चाहिए और यहां पर जो आस्ट्रेसिविल लिविंग है, जो शहन-शाहियत है, मुगलशाही की जो शान शौकत है, उसके स्थान पर आप सादगी लाइये और दसरे जो जमीन प्रेस्काइब्ड अथारिटी

जमीन के मालिकों को बेचने के लिए देना चाहती है उस पर पाबन्दी लगनी चाहिए। आज जो जमीन की कीमत में बढोत्तरी हई है वह उनके परिश्रम की वजह से याउन के इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं, उनके किसी कला कौशल की वजह से नहीं हई है, वह तो दिल्ली के विकास की वजह से हई है। दिल्ली भारत की राजधानी न होती तो कुछ भी न होता इन जमीनों की कीमत 25 वर्ष पहले एक रुपया और चार आना गज भी नहीं थी। बहुत से लोगों ने दूरदर्शिता से दिल्ली में, ओखला में और उसके आस पास जमीनें ले लीं और आज वह करोडपति बन कर बैठे हए हैं और कोई बडा इटरेस्ट या इनकम टैक्स भी वह नहीं देते। तो मैं चाहता हं कि प्रेस्काइब अथा-रिटी जो जमीन सेल के लिए ले उसकी कीमत पर कुछ प्रतिबंध लगाय । दूसरा मेरा सुझाव यह है कि लोगों को अपने-अपने आवास बनाने की सविधा दी जाय। डेवलपमेंट अयारिटी उनसे जमीनें ले ले, जैसा कि हमारे नेता त्यागी जी ने कहा कि जिन लोगों के पास फी होल्ड जमीनें हैं और जिनके पास मकान नहीं हैं, उनकी जमीनें सिमित को जाय और उनको कहा जाय कि वे अपने मकान बनायें। गवनमेंट उनसे डेवलपमेंट चार्जेज ले और साथ ही गवर्नमेंट का जो नकशा हो उसी के मताबिक उनसे मकान बनवाय जायं और डेवलपमेंट अथारिटी इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए जो चार्जेज हों वह उन से वसुल कर सकती है।

दूसरी बात यह है कि जो जमीन एक्वायर की गयी, अगर उस पर तीन साल तक मकान न बने तो मालिक को अधिकार हो कि वह उस जमीन को बेच सके। इसका मतलब यह है कि जैसा आज भी आपका तजुबी है कि बहुत सी जमीन

### श्री बनारसी दास

एक्बायर्ड है और उस पर कोई कंस्टक्शन नहीं होता है। आपके नजदीक ही गाजिया-बाद है बहां दसियों साल से जमीन एक्वायर कर के रखी हई है। न उस पर कोई पैदावार ोती है और न किसी को उस पर बसने की इजाजत ही दी गयी है। तो एक तरफ जमाने एक्वायर की जाय और दूसरी तरफ तीन-तीन साल तक उन पर कोई इमारतें न बनें, इससे बहत बड़ा न कसान होता है और जमीन के जो मालिक हैं उनको इम्ब्रेंस करना होता है। अगर आप तीन साल के बाद फिर उनको जमीन टांसफर करने का अधिकार रिस्टोर करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट अयारिटी के लिए भी यह गतं होनी चाहिए कि जो जमीन वे एक्वायर. करें उस पर ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर वह मकान बनवा दें। गवर्नमेंट जिन जमीनों को लीज पर देती है उनके लिए भी कुछ घतें लगती है कि इतने समय के अंदर अगर उस पर इमारत नहीं बनेगी तो लोज कैंसिल कर दी जायगी। यह छोटा सा विधेयक जो है वह केवल गवर्नमेंट में एक्वायर जमीनों के टांसफर और उनके सेल को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन चुंकि आवास मन्ष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है इसलिए इससे एक बडा सवाल पैदा होता है और इस पर भी हम को विचार करना चाहिए ।

अंत में मैं यही कहूंगा कि सारी जमीन का बैल्यूएशन किया जाय, सर्वे किया जाय और देखा जाय कि कितनी जमीन सरप्लस निकाली जा सकती है लोगों के रहने के लिए और फिर उसके एलान्मेंट की ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें किसी तरह का करप्शन न हो, जिसके अंदर फिक्टिशन बात न हो, कानून कौ सरकम्बेंट करने के लिए, दूसरे लोगों के नाम पर जमीन न ली जा

सके। तीसरी बात, आज यह भी प्रवृत्ति है कि बड़े-बड़े अधिकारी और पंजीपति फाइनेंशियले इंस्टीटयुशन से और गवर्नमेंट से पैसा ले कर मकानों में लगाते हैं और खद रहते हैं सस्ते मकानों में और अपने बडे-बडे मकानों को 5,10 और 20 हजार रुपये के किराये पर दे देते है, तो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि दिल्ली में बडे अधिकारो, प्राशासक और मिनिस्टर्स, जिनकी अपनी कोठियां बन गयी हैं उन को सस्ते सरकारी रेजीडेंस छोड़ने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि यह आवास की समस्या ठोक तरह से हल हो सके और यह पीस मील लेजिस्ले भन लाने से. जैसामाननोय मंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर आज 8 करोड़ मकानों की कमी है और दिल केली अंदर भी जहां पर लाखों आदमी एसे हैं कि जिनके पास मकान नहीं हैं, तो पीसमील लेजिस्लेशन लाने से यह समस्या हल नहीं होगो । डवलपमेंट अथारिटी को कोई असूर्विधा हुई आपने एक लेजिस्लेशन ला कर सदन के सामने पेश कर दिया, इस से समस्या का हल नहीं होगा एवं कंप्रिहें सिव, के डवलप-प्लान्ड ढंग से आवास मेंट के लिए प्लानिंग कर दें एक विधेयक आप को लाना चाहिए ताकि सस्ते दामों में यहां के सब लोगों को अपने रहने के लिए आवास के लिए की भूमि मिल सके। उन को आप सुविधाएं प्रदान करें अगर ऐसा अवसर प्रदान करें कि वे अपने मकान बना सकें। मुझे आणा है कि माननीय मंत्री जी जो उन का मकसद है उसको पूरा करने के लिए सही मानों में काम करना चाहते हैं और इसको अमल में लाना चाहते हैं, तो भले हो उन पर इसके लिए थोड़ा प्रतिबंध लगे, भले ही उनके आराम पर थोड़ा असर पडे, भले हो उनके साथ-साथियों पर थोड़ा असर पड़े, लेकिन उस के बाद भी मुझे आ शा है कि वे इसकी

### 65 Delhi Land {Restrictions [1].

सही व्यवस्था करेंगे ताकि जमीन का सही इस्तेमाल हो सके और तभी जो हम जमोन एक्वायर की गयी है, उस पर जनता के कल्याण के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जा सकेगी।

310 পার্চ महावीर (दिल्ली) : उपसभापति जी, दिल्लो की भूमि के स्थाना-न्तरण पर पाबन्दो लगाने के लिये जो बिल लाया गया है, इस बिल को ही केवल देखा जाय तो बहुत सीधा-सादा और बड़े सद्भावना से लाया गया प्रतीत होगा, परन्त दिल्ली में जो आवास की स्थिति है या दिल्ली के अन्दर जो आवास-हीनता को समस्या है उसकी और यदि ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि यह बिल बजाये इसके कि बिमारी की जड में जा कर के उसको ठीक करने का कोई संकेत दे, केवल जो बीमारी है उस बीमारी के कारण जो सारे शरीर में फोड़े-फून्सी भर जाते हैं। उनमें से एकाध फोडे के ऊपर मरहम लगाने की कोशिश है।

महोदय, यह बीमारी क्या है दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है, आबादी यहां को बढती जा रही है और आबादी के बढने की रफ्तार से यहां पर रहने के मकान नहीं बढ रहे हैं, इसलिए सड़कों के ऊपर, झग्गी-झोपडी में, पटरियों पर और गन्दी बस्तियों में लोगों की भरमार होती जारही है। यहां तक हो रहा है कि सरकार जितना भी चाहती रहे, जितनी भी कोशिश करतो रहे, किन्तू अनधिकृत बस्तियों की तादाद बढती जाती है। अनधिकत बस्तियों की तादाद सँकडों में है और जाज अनधिकृत बस्ती में बसने वाले लोगों को पता है कि एक चनाव आता है तो उस बक्त तक बनी हई सारी बस्तियां को नियमित करने की नीति 3-4 RS/72

#### on Transfers) Bill, 1972 66

घोषित हो जाती है और उसके बाद लोग समझते हैं कि अब फिर नई बस्ती बनावो अगले चनाव के आने के वक्त इसके बारे में भी यही घोषित हो जायगा। राजनीति की कुछ मजबरियां हैं, राजनति में वोटों के सवाल पर चुनाव जब सामने आता है तो इस तरह के आश्वासन अगर दिये जायं, तो यह कोई आश्चर्यं की बात भी नहीं । परन्तु, महोदय, यह दिल्ली की आवास की समस्या हल कैसे होगी। क्या इसी तरह से हल होगी कि बस्ती बनने दी जाय और उनको पहले तो रोकथाम की कोशिश करें, लेकिन चनाव के वक्त उनको जा कर के नियामत करने का आश्वासन दे आवें। इस वक्त भी, पिछले चनाव में भी कितनी बस्तियों में इस तरह के आश्वासन दिये गये, जिन लोगों ने अनधिकृत झोपडियां बनाई थीं. उनको कहा गया कि हमें वोट दो तो यहां बैठे रहने दिया जायगा और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हें उखाड़ कर फैंक दिया जायगा। मैं यह बात कोई एक नुक्ता बनाने के लिये नहीं कह रहा हं, यह इसलिए कह रहा हं कि यह समस्या है और आप इसकी जड़ में जा कर के जरा सोचिए कि इसका हल क्या होगा।

महोदय, जिस वक्त मास्टर प्लान बना, 1962 ई० में, तो लगभग 54 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, नोटोफाई कर दिया गया कि इसको सरकार एक्वायर करेगी, लगभग 54 एकड़ भूमि सरकार के उस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत आ गई और मास्टर प्लान के बनने के बाद आज तक लगभग 10 वर्ष में 54 हजार एकड़ में से शायद 5 हजार एकड़ या इसके आस-पास भूमि का विकास किया गया होगा, जिसका कोई उपयोग किया गया होगा, नहीं तो 54 हजार एकड़ भूमि, जो निवास की,जो

# [डा० भाई महावीर]

व्यापार को, जो उद्योगको, जो खेती की, थी सब को नोटिकाई कर दिया गया और नोटोफाई करने के बाद जिस रफ्तार से डी० डी० ए० चला है—मै ऐसा तो नहीं कहुंगा कि डी० डी० ए० ने कुछ नहीं किया है,लेकिन जितना किया है वह समस्या की उग्रता की दृष्टि से कितना अपर्याप्त है, क्योंकि 5 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि अभो तक डेवलप नहीं की जा सकी और जो अगर यह डेवलप नहीं होती तो फिर बाकी लोग क्या करें। आज भूमि के विकास, भूमि पर मकान बनाने के बारे में डी० डी० ए० को एक पूरा अधिकार है, टोटल मोनोपोली है, कोई प्राइवेट कालोनाइजर, कोई प्राइवेट कम्पनी, कोई एँसे लोग जिन्होंने कि पिछले दिनों में अच्छी कालोनीज बना दीं, उनको अधिकार नहीं। डा० एल० एए० का काम था कि रजौरा गार्डेन को बना दिया या हौज खास को बना दिया, ग्रेटर कैलाश उन्होंने बना दिया, अच्छी कालोनोज हैं। डी० डी० ए० ने भी वैसो हो कालोनीज बनायी होता तो यह नहीं कह सकते कि वह बढ़िया है या यह घटिया है। परन्तु, महोदय, इन सब कम्पनियों को निकाल दिया गया और डी० डी० ए० के हाथ में यह सारा काम दिया गया और डी० डी० ए० जिस रफुतार से चल रहा है, उसके हिसाब से---अ।ज दिल्लो में कम से कम 2 लाख मकानों की जरूरत है, 1962ई० में 91 हजार मकानों की कल्पना की गई थो, लेकिन दिल्ली की आबादी में हर साल 2 लाख लोगों की वृद्धि होती है, तो अज 2 लाख मकानों को कमी दिल्लो में हैं और 2 लाख के मुका-बले में इन सालों में डी० डो० ए० ने लगभग 2 हजार मकान बनाये । अगर 2,000 मकान एक साल में बनाए जार्गे, तो 2 लाख मकानों को बनाने के

लिए सिर्फ 100 साल लगेंगे। तो क्या 100 साल तक हम इस कानन के भरोसे दिल्ली की आवास समस्या को हल करने को आशा रखते हैं ? यह आशा रखना बेकार होगा। विचार करना पडेगा कि क्या दिल्ली डेवलपमेंट आधारिटी जितना रक़बा जितना क्षत्रफल चाहिए उसको विकसित करेके उस पर मकान बनाने के लिए प्लाट देने की स्थिति में है ? साल-दोसाल में उतना रख कर के और बाको के सारे क्षेत्रफल को खाला रोक कर रखना, क्या इसके लिए कोई सँद्धान्तिक कारण है? क्या यह समाज-वाद की किसी धारा के अंदर आता है? इस वास्ते क्या आप चाहते हैं लोग सड़कों पर, पटरियों पर, गंदी बस्तियों में, अनधिकृत बस्तियों में नरक का जोवन बिताने के लिए मजबर हों। लेकिन लोग अपने জাম মকান वनालें या कालोनीज बनालें — अखिर कालोनिज भी बना लें तो बनाने के बाद जो प्राफिट वह बनायेंगे, उसमें से प्राफिट आप भी लेंगे, इनकम टैक्स लेंगे प्राफिट टैक्स लेंग्रे—उसमें क्या आपत्ति है ? कुछ लोगों को काम मिल जाएगा। आपने जमीने रोक लीं, बनाने का इंतजाम आपके पास है नहीं। जब लोगों को जरूरत है मकानों की, तो अनधिकृत बस्तियां नहीं बनेंगी तो क्या बनेगा ? और अनधिकत बस्तियां बनती है तो लोग, बेचने वाले भी खडे होते हैं और मंत्रो जी जानते हैं उनको पार्टी के लोगों ने दिल्ली में अनधिकत मकान बनाने का जितना काम किया है उतना और किसी ने नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हं, वे स्वयं जानते हैं और अगर नहीं जानते, तो पता लगा लेंगे। प्र एन यह है कि इसका स्वाभाविक हल क्या है? लोगों को मकान मिले

### 69 Delhi Land {Restrictions

यह नहीं कि जमीन बैचने वाले के लिए एक नयी सजा आप सामने खडी कर दें। सजा भी होगी तो जैसा देखने में आता हैं कानून को सख्त करने से कई बार कानन से बचने के लिए लोग नए तरोके निकाल लेते हैं और भ्रष्टाचार को जन्म देने के नए ढंग हो जाते हैं। आपने कांपोटेन्ट अथारिटी वनाई है, उसको इजाजत लेने के लिए लोग आवदन पत्र भेजगे, उनको इच्छा पर है जैसा व फैसला करेंगे परमिशन दी जाय या न दी जाए और अगर परमिशन वे नहीं देंगे तो फिर कारण बताएंगे। अब यह उनके डिसकीशन के उपर, उनके विवेक के ऊपर निर्भर है और जहां पर विवेक का अधिकार इतना बढा दिया जाता है, वहां परिणाम क्या होगा? आप जानते हैं, इजाजत मिले और न मिले मैं जमीन की कोमत में दस गुना फर्क पड़ेगा। तो दस गुना फर्क जहां पड़ता है, वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर लाखों के अंदर फायदा कमाने वाला है, तो कुछ हजार देकर वह इजाजत लेने की कोशिश करता है। आप उसको कितना दोबी ठहरायेंगे, आप व्यवस्था ऐसी मत बनाइए, जिससे इस तरह का भ्रष्टाचार पनवेया ज्यादा बढे।

महोदय, डो॰ डो॰ ए॰ जिस तरह से मिलने से एक वेकारी कम होती और काम कर रहा है, जिस प्रकार जमोन लेकर दूसरे सरकार को फायदा होता और प्लाट्स बना कर उठाए गए, उसमें तीसरे, इस देश के अंदर जिस तरह की जमोन ली जाती है 2 रु॰, 3 रु॰, 4 रु॰ अमोन ली जाती है 2 रु॰, 3 रु॰, 4 रु॰ अमोन ली जाती है 2 रु॰, 3 रु॰, 4 रु॰ अमोन ली जाती है 2 रु॰, 3 रु॰, 4 रु॰ अमोन ली जाती है 2 रु॰, 3 रु॰, 4 रु॰ अर्थ व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, वह भी पनपती। परन्तु महोदय, यह करने सड़कों का, दूसरा खर्च जोड़ लिया जाए, सारी की मत मिलाई जाए, तब मैं समझता हूं, 18 – 20 रु॰ तक का खर्च लों उस भूमि पर और उस प्रीमियम के ऊपर पड़ता है। लेकिन जब वही प्लाट मीलाम किए जाते हैं तो 260-300 रु॰ सत वर्ग गज तक की मत लग जाती है। हम समझते हैं, कि इस तरह के लाखों-

20 रु० वर्ग गज जिसका खर्चा पडता है वह 200-300 रु० प्रति वर्गगज पर नीलाम किए जाएं छोटे-छोटे प्लाद के रूप में, तो क्या यह दिल्ली के अंदर लोगों की आवास समस्या को हल करने का तरीका है? इस तरह की कीमतों पर ये जाते हैं, जब नारायणा के अंदर नीलामी हई है, वजीरपुर के अंदर नीलामी हई है। मैं स्पष्ट कर दुं कि कुछ प्लाटस लो इनकम ग्रूप को अलाद किए जाते है लाट-रोज के जरिए, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हं, जो वाकियों को नीलामी के द्वारा दिया जाता है, वे इतनी कीमतों पर जाती हैं, तो परिणाम वया निकलेगा ? इसलिए पिछले दिनों में अभी पुसा रोड के ऊपर एक 800 गज का कामणियल प्लाट नीलाम हुआ, 18 लाख २० उसकी कीमत पड़ी। यह कोमत क्या स्वाभाविक कोमत है? कीमत मिलने के वाद एक बार उनको लगता होगा कि ठीक है, सरकार को इतना मिल गया, लेकिन सरकार को इतना मिला किस कीमत पर ? क्योंकि कमी है मकानों की और अगर कम कीमत होती तो ज्यादा प्लाट्स डेवलप किए जाते, ज्यादा कामशियल एरियाज होते और कम कोमत पर जाते। ज्यादा व्यापार पैदा होने से, ज्यादा उद्योग शुरू होने से, ज्यादा लोगों को काम-धंदा मिलने से एक बैकारी कम होती और दूसरे सरकार को फायदा होता और तीसरे, इस देश के अंदर जिस तरह की अर्थ व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहते है, वह भी पनपती। परन्तु महोदय, यह करने के बावजुद, डी० डी० ए० की रुचि यह दिखायी देती है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत जमीन की लें, ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम लें उस भूमि पर और उस प्रीमियम के ऊपर लीज लें। 18 लाख कोमत के ऊपर 40,000 रु० साल का लोज मनी लेने के बाद क्या

## [डा० भाई महावीर]

पति या करोडों पति इस देश के अंदर बेग्मार हैं, जो देखने में आएंगे और इस तरह से व्यापार और उद्योग को तरक्की मिलेगी? महोदय, मैं समझता हं कि इस नीति के ऊपर फिर से शरू से विचार करना चाहिए कि कहां तक यह यह जो एकाधिकार चल रहा है वह ठीक है। महोदय, सरकार ने अगर दुसरी निति अपनाई होती, दो, तीन, चार साल के अंदर डो० डो० ए० जितनी जमीन पर मकान बना सकता था वह बना लेता और बाको जमीन को छोड़ देता और छोड़ कर दूसरे लोगों को दे देता तो अच्छा होता। मझ इस बात पर खुशी होती कि अगर कोई इस बात पर समाजवाद का झन्डा खड़ा करना चाहता है और सरकारी एजेन्सो दारा सब लोगों के लिए मकान बनाव और जो लोगों से कहे कि प्राइवेट मकान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन न तो खद मकान बनाते है और न ही दूसरे लोगों को मकान बनाने देते हैं, यह तो भूसे के ढेर पर बैठे कूते वाली कहावत हो गई है। A dog in the manger. न खद खा सकते हैं और न ही दूसरों को खाने देते हैं और यह कोई अच्छा परिणाम लाने वाली बात नहीं है। अगर नहीं किया जा सकता है तो सोधे एक तरीके से हो सकता है कि अग्प जितनी भी भूमि दो, ढाई साल के अंदर विकास कर सकते हैं, उसको रख लीजिय और बाकी को छोड दीजिए और उसके लिए नियम बना दीजिए कि कितनी चौड़ी सडक बनेगी, किस तरह से सीवर बनाय जायेंग, किस तरह से पार्क बनाय जायेंगे, कितनी जगह स्कल के लिए रखी जायेगी। इस तरह के सारे नियम बना करके डी० डी० ए० नक्शे पास करे तथा लोगों को इस तरह से भूमि का विकास करके मकान बनाने का मौका दे। लेकिन

यह नहीं किया गया। मास्टर प्लान बनाया गया और मास्टर प्लान के बारे में सब कहते हैं कि इसको बदलना चाहिये, कांग्रेस पार्टी भी कहतो है कि इसको बदलना चाहिए, सरकारी प्रवक्ता भी कहते हैं कि इसको बदलना चाहिये, लेकिन इस तरह को बात कहने के बाद उसको एक बाइबिल की तरह पवित्र मान कर के जहां कोई निति हम बदलना नहीं चाहते हैं, उसका हवाला देकर वहां हम पत्थर को तरह अड़ जाते हैं। यह जो स्थिति है, उससे समस्य। का हल नहीं हो सकता है।

क्या डी॰ डी॰ ए॰ के पास आज कोई ऐसी योजना है, जिसमें छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों के वास्ते सस्ते मकान बनाकर किराये पर दे दिये जा सकें ? क्या सरकार डो० डी० ए० को इस तरह की योजना हाथ में लेने के लिए कह रही है? मास्टर प्लान का एक बडा रोचक पहल यह है, जिसको में आपके सामने रखना चाहता हं। कितनी घनता, कितनी डैन्सिटी आफ पाप्लेशन किस इलाके में रहेगी, यह मास्टर प्लान में लिखा हआ है। लेकिन जिस समाजवाद की कल्पना हम करते हैं, उसमें हम शहर के अन्दर सारे क्षेत्र के लिए एक तरह की डेन्सिटी रखने के लिए तैयार नहीं है। एक इलाका ऐसा जामा मस्जिद का है. जिसमें 250 से कम डेन्सिटी नहीं जाती है, लेकिन सिविल लाइन्स के अन्दर 50 डेन्सिटी है और इस 50 डेन्सिटो का मतलब क्या है? मैं चाहंगा कि मंत्री जो इस बारे में अच्छी तरह से स्पष्टीकरण देंगे। मास्टर प्लान के मुताबिक आधा एकड से कम के नक्वो पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिविल लाइन्स के ऊपर 20 और 24 गज से भी कम के नक्शे पास हो जाते हैं। मास्टर प्लान में इस तरह की बंदिश है कि अधि एकड़ रखने में दो युनिट्स बनाये जा सकते हैं, दो परिवारों के रहने के लिए जगह होगी। अगर 100 रुपये गज भूमि की कीमत होगी तो करीब ढाई

लाख उस भूमि की कीमत पड़ी, आज जो

मकान बनाने का खर्चा आता है वह करीब

50 रु० स्क्वायर फिट आता है, जिसका

मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र में मकान

बनाने के लिए 7 लाख रुपया लागत आयेगी।

ढाई लाख रुपया तो जमीन की कीमत हुई

और सात लाख रुपया मकान बनाने का

खर्च हआ और इस तरह से सब मिला कर

नौ या साढे नौ लाख रुपया लागत आती

है। इस लागत से जो मकान बनेगा उसमें

दो परिवार रह सकेंगे। तो मैं यह पूछना

चाहता हं कि क्या यह समाजवाद है ?

क्या इस तरह की यौजना, इस तरह के

रोकथाम, इस तरह की बंदिश जो हमारे

देश के अन्दर है, क्या ^ समजवाद को लाने

वाला है ? महोदय, मेरा निवेदन है कि

इस तरह से देश के अन्दर समाजवाद नहीं

अ। सकता है। हर ब(र सरकार की और

से कहा जाता है कि वह यह कर रही

है, वह कर रहीं है, लेकिन उसका

नतिजा कुछ नहीं निकलता है। सरकार

ने मास्टर प्लान बनाने की बात कहा और मास्टर प्लान बनने के बाद जिसमें

कि चार साल लग गये, उसके बाद कनाट

प्लेस के लिए एक जोनल प्लान बनाया

गया। उस जोनल प्लान में फोर्ड फाउन्डे-

जन और टाउन प्लानिंग आर्गेन।इजेजन

ने मदद की और इस एरिय। के लिए

एक प्लान बना। उस प्लान में जिसे

एफ० ए० आर० कहते हैं, वह 400 का

रखागया। कर्जन रोड, जिसका न/म अब

कस्तरवा रोड है और वारहखम्बा रोड इस

इलाके को कंवर्जन करने के लिए खोल दिया

गया। इस इलाके को बिजनेस और कॉमशियल

परपज के लिए बदल देने के बारे में कहा

गया। वहां पर मकान बनने शुरू हो गये,

कंस्ट्क्शन बुरु हो गया, कुछ मकान बन भी गये और जो बने उन्हें सरकार के बड़े-बडे अ फिसरों ने फ्लैट के रूप में ले लिये। उसके बाद न जाने क्या हुआ? वर्क्स एन्ड हार्डासग मिनिस्ट्री ने एक सेमीनार किया और उस सेमीनार में यह सवाल खड़ा किया गया कि जो नक्शे बन चुके हैं, जो पास हो चुके हैं, जो नई दिल्ली कमेटी के विचाराधिन हैं, उन सब को फीज कर दिया जाय और कहा गया कि यहां पर मल्टी-स्टोरी की बिल्डिंग पास नहीं होगी। छहः महीने तक नक्ये पास नहीं हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि जो फ्लैट्स बन चुके थे, जो फ्लैटस खरीद जा चुके थे, उनकी कीमत दुग्नी हो गई,क्योंकि नई बिल्डिंग नहीं बन

1 P.M. रही है। नई बिल्डिंगे जब नहीं बन रही हैं, तो इसका परिणाम यह है कि सरकार

को, नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को कितना घाटा है, इसकी आप कल्पना कीजिए। एक कोठी के कन्वरान का हिसाब यह है कि 1,000 रुपया २०, एक वर्ग गज के लिए कल्वर्शन चाजेंज Rs. 1000 per sq. yard और अगर 5 हजार गज की कोठी है तो 50 लाख रुपया उसी कोठी का कन्वरांन चार्ज होगा। अगर 50 लाख रुपया कन्वर्शन चार्ज होगा एक कोठी का और अगर 50 कोठियां थी जो बनाई जाने वाली थीं। उनसे कन्वर्शन चार्ज ही 20 करोड़ रुपये सरकार को मिलनेवाला था। फिर वह किराए पर चढती तो किराए की आमदनी पर टैक्स लगता, हाउस टैक्स लगता, केमेटी को मिलता, फिर दूसरे टैक्स हैं, इनकम टैक्स हैं, प्राफिट्स टैक्स है, सब मिलते, कितने दफ्तर खलते, कितनी क) रोबार की तरक्की होती, लेकिन यह सब रुक गया। क्यों रुक गया? में नहीं जानता। एक सेमीनार किया गया वर्क्स एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री में और कहां गया कि यह सब रोक देना चाहिए। इस तरह

73 Delhi Land (Restrictions

## [डा० भाई महावीर]

का समाचार छपा कि किसी केन्द्रीय मिनि-स्टर की कोठीं में से सडक निकल रही थीं, इसलिए सारी योजनाको खटाई में डाल कर रोक दिया गया और उसके फलस्वरूप जो करोडों रुपए का नकसान सरकार का और मनिसिपल कमेटी का हो रहा है, वह इस कारण से हो रहा है। मैं चाहता हं कि सरकार इस तरह के मामले में स्पष्टी-करण दे। विचार करने व(लों ने जो पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिगों की कल्पना की थी, क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई थी जो आज एक। एक पैदा हो गई। अखबारों में बहत बहस चली और कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं अप्या। इसलिए सन्देह होता है कि इस खबर में जो तथ्य है वे सही हैं। अब 1 से 13 नम्बर तक की कोठियों को रेजीडेंशियल रखा गया और 14 से 27 को कन्वर्शन के लिए कामशियल बन। दिया गया। कहां से यह नम्बर तय किया कि 13 ही ठीक है और 14 से कार्माशयत बनासकते हैं। एक इतना बड़ा अधिकार जिससे एक कोठी की कीमत 10-12 लाख से बढ कर 40 लाख हो जाती हो सरकार अपने अधिकार में रखती है। इस अधिकार का उपयोग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रास्ता खोल सकता है, हम इसके संबंध में विचार करें। मल्टी स्टोरी बिल्डिग्स की स्कीम को फीज किए जाने का इतना बड़ा सवाल है, जिसके बारेमें सरकार को स्पष्टिकरण देना चाहिए । महोदय, इन सब प्रश्नों के संबंध में स्पध्टिकरण इस बिल को मौलिक रूप से समझने के लिए और दिल्ली को आवास समस्या को हल करने के लिए और उस संबंध में नोति निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। मैं समझता हं कि सरकार इन सब बातों पर घ्यान देगी और तभी हमारा समाधान होगा ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The first speaker after lunch will be Shri Bhupesh Gupta. The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

on Transfer) BUI, 1972 76

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DI-I>UTY CHAIRMAN in the Chair.

#### *RE* REQUEST FOR A DISCUSSION ON THE STATEMENT MADE BY PROF. SIDDHESHWAR PRASAD ON THE TOUR ABROAD OF SHRI B. B. LAL

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, before I speak on the Bill. I have a request to make to you. I have already tabled a motion regarding the statement which has been laid on the Table of the House by Prof. Siddeshwar Prasad today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That has nothing to do with the Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, it should be taken into consideration, 1 am not going into the statement at all. Tomorrow the Session is ending and my motion must be discussed. Sir. I submitted to the ruling of the Chair that I should not ask any questions on this matter today, although I did not agree with him. Normally, when the statements are made, as was made in the case of the Delhi Milk Scheme, questions are asked and were asked today in the case of the Delhi Milk Scheme. Here also I should have been allowed to ask questions. I gave the assurance that I am not asking any question.

SHRI BANARSI DAS (Uttar Pradesh) : Sir, on a point of order. The question has already been postponed.